कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com वेबसाईट : http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. /2113-17/स्था.राज /2024 शिवपुरी, दिनांक – 06/02/2025

:: विज्ञप्ति –01/2025 ::

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी द्वारा वेबसाइट https://shivpurimedicalcollege.com पर जारी नोटिस क्रमांक/14387–91 /स्था/राज/2024 शिवपुरी दिनांक 02.12.2024 के द्वारा सीनियर रेसीडेंट एवं जुनियर रेसीडेंट के पदों पर सीमित पदावधि (टेन्युअर) से पदों की पूर्ति की जाने के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु नोटिस जारी किया गया था। जिसमें रिक्त पदों की आज दिनांक तक पूर्ति के उपरांत एन.एम.सी. के अनुसार शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्तमान स्थिति के अनुरूप नोटिस में संशोधन निम्नानुसार किया जाता है।

उक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 13.02.2025, गुरूवार को प्रातः 09.00 बजे से 11.00 बजे तक वॉक–इन–इंटरव्यू कार्यालय, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में आयोजित किये जावेगें, छानबीन उपरांत योग्य पाये गये उम्मीदवारों का इंटरव्यू अपरान्ह 2.00 बजे से आयोजित किया जायेगा। आवेदक पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

सीनियर रेसीडेंट SR (निश्चित स्टायपेंड रु. 88210/– प्रतिमाह)

क.	विभाग	अनारक्षित	अजा	अजजा	ओ.बी.सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल पद
1.	मेडिसिन	01	01	–	01	-	03
2.	पीडियाट्रिक्स	01	–	01	–	-	02
3.	स्किन वी.डी. एण्ड लेप्रोसी	01	–	–	–	–	01
4.	मनोरोग	01	–	–	–	–	01
5.	सर्जरी	01	01	01	01	–	04
6.	ई.एन.टी.	01	–	–	–	–	01
7.	ऑप्थलमोलॉजी	01	–	–	–	–	01
8.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01	–	01	–	–	02
9.	एनेस्थिसिया	01	–	01	01	–	03
10.	रेडियोडायग्नोसिस	–	–	01	01	–	02
11.	पी.एम.आर.	01	–	–	–	–	01
12.	इमरजेंसी मेडिसिन	02+1F	01	01	01	01	07
	कुल योग	**13**	**03**	**06**	**05**	**01**	**28**

जूनियर रेसीडेंट JR (निश्चित स्टायपेंड रु. 61515/– प्रतिमाह)

क्रं.	विभाग	अनारक्षित	अजा	अजजा	ओ.बी.सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल पद
1.	मेडिसिन	01F	01	01+01F	01	01	06
2.	पीडियाट्रिक्स	-	01	01	-	01	03
3.	टी.बी.एण्ड चेस्ट	01	-	-	-	-	01
4.	मनोरोग	-	-	01	-	-	01
5.	सर्जरी	02	01	02+01F	01	-	07
6.	अस्थिरोग	02+01F	-	01	-	-	04
7.	ई.एन.टी.	-	-	01	-	-	01
8.	नेत्र रोग	-	-	01	-	-	01
9.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01	-	01	02	-	04
10.	निश्चेतना	-	02	01	-	01	04
	कुल योग	**08**	**05**	**12**	**04**	**03**	**32**

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त पदों पद नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ–4–7/2/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाऐं देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रो में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्ते लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोटः–

1. आरक्षण :–
   (1)राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
   (2)आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,सामान्य श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा 06 प्रतिशत पद विकलांग हेतु नियमानुसार आरक्षित है।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
6. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वॉक–इन–इंटरव्यू जारी रहेगा अतः आवेदन के पूर्व की उपलब्धता का पता कार्यालय स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।
7. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   आवेदन शुल्कः सभी वर्ग के लिए रूपये– 500/– स्वशासी शाखा में जमा करना होगा।

शर्तेः–

1) अवधिः– सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा अविधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर ही एक वर्ष बढाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढाई जा सकेगी।
2) **नियुक्ति का तरीकाः–** योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जावेगी।
   नियम एवं निर्देशनः– मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 2–42/07/1/पचपन/भोपाल दिनांक 17.12.2021 द्वारा जारी सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रकिया निम्नानुसार होगी।

सीनियर रेसीडेन्टः– पात्रता

I. सीनियर रेसीडेन्ट पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के 05 वर्ष के अंदर एम.डी. /एम.एस. /डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
II. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए
III. एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता

I. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्का/दंत चिकित्सा द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
II. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
III. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
IV. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
V. बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्रायें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाएगें।
VI. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

चयन विधिः—

I. अधिष्ठाता द्वारा नोटिस वोर्ड, कॉलेज वेबसाइट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति की जावेगी। तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम स चिकित्सकों का चयन किया जाएगा ।

II. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जावेगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

III. चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. किया है। उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

IV. चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी. होगा।

V. विभिन्न विषयों से उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी.(एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।

VI. चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :—

I. टेन्यूअर की अवधि 03 वर्ष की होगी।

II. 01 वर्ष की टेन्यूअर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की की गई अनुसंशा के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए बढाया जाएगा।

III. विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकुल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वर्ष वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किए गए चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

IV. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्यसंतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने ाक अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षणः—

I. राज्य शासन द्वारा आद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

II. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जाएगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंट हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

III. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाशः—

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह एक दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रति वर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जाएगा। अवकाश के समस्त प्रकरण पर अधिष्ठाता का अंतिम निर्णय होगा।

प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेंट में चयनः—

पात्रताः—

I. सीनियर रेसीडेंट पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम. एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

II. एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः ही लागू होंगी।

III. जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है। उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंट की पात्रता होगी।

Scanned with OKEN Scanner

चयन विधिः—

I. ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। उन्हें सीनियर रेसीडेंट पद के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

II. साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी समय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है। उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश में किसी भी अन्य चिकित्सकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदुपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा।

सीट का आरक्षणः—

I. राज्य शासन द्वारा आद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

II. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जाएगा।

वेतन भत्तेः—

I. प्रदर्शक/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को अपने पद से संबंधित भत्तों की पात्रता होगी।

II. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 1129/एफ 2—67/2015/1—55 भोपाल, दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रदत आदेशानुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट को मासिक स्टायफंड देय होगा।

यात्रा भत्ताः—

I. साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा एवं स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तेः—

1) इन चिकित्सकों को 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकता है। इन पर रेसीडेंट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
टीपः— जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया है। ऐसे प्रदर्शक/टयूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्ध धारणा अधिकार स्थापित रहेगा। जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्ध किसी अन्य चिकित्सकों को नियुक्त नहीं करेगा।
2) आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों का तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3) सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाए अनुसार बंधनकारी होगी।
4) यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत् है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5) उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य मेडिकल कॉलेज कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेंट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय—समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

जुनियर रेसीडेन्टः—

पात्रता

I. जुनियर रेसीडेन्ट पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इंटरनशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

अपात्रता

I. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

II. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

III. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

Scanned with OKEN Scanner

IV. पाठयक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

V. बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्रायें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाएगें।

VI. उपरोक्त विन्दुओं के संबंध में छात्र/छात्रा द्वारा इंटरनशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के द्वारा जारी किए जाने वाले इंटरनशिप कम्पलिशन सर्टिफिकेट इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

आरक्षणः—

I. राज्य शासन द्वारा आद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

II. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

शिष्यावृतिः—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जुनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक. 2113-17/स्था./राज/2024 शिवपुरी, दिनांक – 06/02/2025

प्रतिलिपि—

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
3. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा छात्रावास/लाइब्रेरी।
4. वेवसाइट प्रकाशन।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

प्रति,

अधिष्ठाता,
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :– चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपरी में सीनियर रेसीडेंट/ट्यूटर/जूनियर रेसीडेंट पद हेतु आवेदन।

संदर्भ :– विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

Paste self-attested passport size photo

आवेदित पद का नाम : ....

आवेदित विभाग का नाम : ....

नोट :– सभी जानकारी आवेदन द्वारा पूर्ण भरी जावे, अपूर्ण जानकारी दिये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पुरूष/महिला/अन्य	
4.	आवेदक की श्रेणी – अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस.	
5.	आवेदक दिव्यांग प्रवर्ग से है (हां/नहीं)	
6.	दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत	
7.	वर्तमान पद, कार्यस्थल एवं संस्थान	
8.	वर्तमान संस्था जहां पर कार्यरत है (निजी/शासकीय)	
9.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
10.	स्थाई पता (पिन कोड सहित)	
11.	मोबाईल नंबर	
12.	ई.मेल आई.डी. (Write In Capital Letters)	
13.	आधार नम्बर	
14.	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अंकसूची संलग्न करें)	
15.	दिनांक 01.01.2024 को आवेदक की आयु वर्ष	
16.	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित)	

Scanned with OKEN Scanner

	विवाह का दिनांक	
	विवाह के समय आवेदक की उम्र	
19.	जीवित संतानों की संख्या	
20.	यदि बच्चों की संख्या 03 अथवा 03 से अधिक है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक	

21. शैक्षणिक योग्यता – स्नातक (Udergraduate) :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S.No.	Name of Exam	Institute/University	Year of Passing	Marks obtained/Max. Marks	Percentage	Attempt

Average % of Under Graduation :-

No. Of Additional Attempts (If any) :-

(नोट :– प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हों, संलग्न करें।)

22. शैक्षणिक योग्यता – स्नातकोत्तर (Postgraduate) :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S.No.	Name of Exam	Institute/University	Year of Passing	Subject	Marks obtained/Max. Marks	Percentage	Attempt

23. मेडिकल कौंसिल का पंजीयन क्रमांक, नाम एवं दिनाकं :–

शैक्षणिक योग्यताएं	पंजीयन क्रमांक	कौंसिल का नाम	दिनांक

24. शैक्षणिक कार्य अनुभव :–

क्रमांक	पद एवं संस्था का नाम	अवधि दिनांक	
		कब से	कब तक

Scanned with OKEN Scanner

स्कृत शोध पत्र :–

क्रमांक	कान्फ्रेंस का स्थान व दिनांक	प्राप्त पुरूष्कार	

26. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

S.No.	Certificates/Documents	Yes/No/NA
1.	High School Mark sheet (Date of Birth)	
2.	Undergraduate Mark sheets of all years/prof./FMG Screening Exam Score Card	
3.	Internship Completion Certificate	
4.	Attempt Certificate of undergraduate issued by dean/ competent authority	
5.	Undergraduate Degree	
6.	Undergraduate Medical/Dental Council Registration	
7.	Postgraduate Notification/Mark sheet/Passing Certificate	
8.	Attempt Certificate of Postgraduate issued by dean/ competent authority	
9.	Postgraduate Degree	
10.	Postgraduate additional Medical/ Dental Council Registration	
11.	Basic Course in biomedical research completion Certificate	
12.	Residency/Teaching Experience Certificate issued by dean/ competent authority	
13.	Copy of certificate for awarded for research paper	
14.	Domicile Certificate issued by competent authority	
15.	Cast Certificate issued by competent authority	
16.	AADHAR Card	
17.	Self declaration letter regarding not working in any other govt. institution/department	
18.	Under taking	
19.	NOC from current employer in case of working in Govt./Semi Govt. / Autonomous Medical/Dental College.	
20.	Other if any -	

स्थान –

दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

01. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है आवश्यक दस्तावेजों की कमी/जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
02. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner